प्रेषक,

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल,
मुरादाबाद ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2 समुदाय केन्द्र, प्रीति विहार,
नई दिल्ली ।

संख्या 173 /27– 59 (2008--09) जे0ए0 दिनॉक : अक्टूबर 30 ,2009

विषय :– **सिल्वर ओक अकादमी बिलारी, जनपद मुरादाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :–

1– विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2– विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3– विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

5– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें ।

6– कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगें ।

7– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगें संस्था उनका पालन करेगी ।

8– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9– उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त ।

संख्या एवं दिनांक उक्त :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ ।

2– शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3– निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ ।

4– मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद ।

5– जिलाधिकारी, मुरादाबाद ।

6– जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद ।

7– प्रबंधक, सिल्वर ओक अकादमी बिलारी, जनपद मुरादाबाद ।

(राम सूरत दुबे)
आयुक्त ।

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सिल्वर ऑक अकादमी
बिलारी, मुरादाबाद।

पत्रांकः प्रबन्ध–1 / 68 /2024–25 दिनांक : 03/04/2024

विषयः **सिल्वर ऑक अकादमी बिलारी मुरादाबाद को सी0बी0एस0सी0 नई दिल्ली से सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अपने पत्र दिनांक 25.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करे, जिसके द्वारा सिल्वर ऑक अकादमी बिलारी मुरादाबाद को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता नवीनीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए सी0बी0एस0सी0 द्वारा निर्धारित परिशिष्ट–XIV में जारी करने की अपेक्षा की गयी है। अवगत कराना है कि पत्र के साथ संलग्न एन0ओ0सी0 आयुक्त महोदय मुरादाबाद द्वारा जारी की गयी है।

अतः आपके विद्यालय को जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 30.10.2009 आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा जारी किया गया है। जिस कारण इस कार्यालय द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(मनोज कुमार द्विवेदी)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

MBL.neww2